

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या:- प्राविषापरिषद सम्बद्धता/2022/7617

संलग्नक दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय ज्ञान:-

प्रविष्ट भारतीय तमनोकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिसी कन्ट्रिबल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा तैदिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स-टीम तमनोकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अवसर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघान हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता पृष्टि सहित अन्य सदी पर विचार करने हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में लिखत संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु विस्तारित शर्ती के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4435-BABU SANIBAKSH SHIVMURTI SINGH ENGL. AND MEDICO INSTT

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	रा.आ.ई.सी.टी.ई.पी. वी.सी.आई.पी. द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित पर्यक्त क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित पर्यक्त क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्ती

✓ संस्था रा.आ.ई.सी.टी.ई.पी. वी.सी.आई.पी. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्ती पर पूर्णतः पालन करेगी।

PRINCIPAL
Babu Sant Babu Engg. College
HH-31, Shukhpur Nagar
Sardar Patel Pratiganj, U.P.

संस्था द्वारा प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमों 1982, विनियमों-2010, संशोधन विनियमों-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (एक वर्षीय कोर्सों) पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कोर्सों के लिए ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कोर्सों के लिए) हेतु ₹0- 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों का पालन होगा, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। पीठ निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनीकरण हो लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्देशन एवं सहायता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधित्तिकी/अधित्तिकी/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, 2010, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, 2010 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2010 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आइ0सी0टी0ई0पी0टी0आइ0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्तित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा निभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा वाद वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्था को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवंटित परडनिसलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आइ0सी0टी0ई0पी0टी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिसर सभालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश को (जाउटिसलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनीकरण आदेशों/नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, राज-संज्ञा, उपकरण, पास किया जाने वाला शुल्क, छात्र/छात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ बेसिंग रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति का समस्त उपलब्ध कार्य एवं अभिलेख, भूमि-अवकाश पत्राचार उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिसर को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की समस्त प्रतिलिपि किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के बीच स्वतंत्र निर्देशन के दौरान यदि संस्था ने भूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सामान-संज्ञा ए0आइ0सी0टी0ई0पी0टी0आइ0परिषद के माध्यम से उपलब्ध नहीं किया जाता है तो संस्था को

PRINCIPAL,
 Babu Sant Babu College
 NH-21, Shushpal Nagar
 Sahaspur, Dist. Sahaspur, U.P.

सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियन्त्रणक
अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफएआर) खान

सचिव

पृ0स०- प्राथिपापरिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022


प्रतिनिधि:-

पंकजानार्थ, निदेशक, BABU SANDBAKSH SHIVMURTI SINGH ENGG. AND MEDICO INSTT



(एफएआर) खान

सचिव


PRINCIPAL
Babu Sant Baksh Engg. College
NH-31, Shukhwa Nagar
Sardar City, Prayagraj (U.P.)